जवाहर नवोदय विद्यालय
(शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार.)
पोस्ट: शंकरनगर तह: बिलोली
जिला: नांदेड़. ४३१७३६
UDISE NO. 27150808701
Website:www.jnvnanded.com

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA
[Ministry of Education, Deptt. of School Education & Literacy, Govt. of India]
At/Post:- Shankarnagar- **431 736.**
Tal :Biloli Distt : Nanded (M.S.)
PhoneNo:02465-295244
CBSE AFFILATION NO. 1140006 ** SCHOOL NO. 34047
jnvnanded1@gmail.com /jnvnanded2010@gmail.com

संदर्भ क.निवीदा / जनविनांदेड / 2022..23 / दिनांक :

/ /दुध और दुध उत्पादने की निवीदा वर्ष 2022–2023 के लिए **/ /**

प्रति,

_____

_____

अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा " **दुध और दुध उत्पादने** " की आपूर्ति साथ वर्ष 2022–2023 के लिए पंजिकृत सीलबंद निविदा जवाहर नवोदय विद्यालय शंकरनगर, जिला नांदेड के लिए **2022–23** के लिए **दुसरी बार** आमंत्रित आमंत्रित की जाती है । निविदा सीलबंद चीह्नित " **दुध और दुध उत्पादने** ' आपुर्ति करने के हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता को निर्धारित करार पर के तहत पंजीकृत डाक द्वारा एवं प्रत्यक्षरूप से लिया जायेगा । कोरे निविदा फार्म विद्यालयसे **दिनांक 08 / 06 / 2022 से 16 / 06 / 2022** दोपहर **5–00 बजे तक** रूपये 200–00 भरकर खरेदी कर सकते है। निवीदाफॉर्म्स **Website: https://www.navodaya.gov.in/nvs/nvs-school/Nanded/ en/home/ index.html** पर उपलब्ध है। पुर्णरूप से दर दर्ज किए गए निविदा फार्म संविदा परिच्छेद क. 1 से 23 में उल्लेखित सेवा भार्तो के तहत जमा किया जायें अन्यथा किये गये संविदा का आशय सहमति में समझा जायेगा । सीलबंद निविदा दिनांक **17 / 06 / 2022 को** दोपहर 5–00 बजे तक रजिस्टर्ड पोस्ट और प्रत्यक्षरूप से स्वीकार किया जायेगा । डाकद्वारा विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तिथी **20 / 06 / 2022** को सुबह 11.00 बजे विद्यालयमें सीलबंद निविदा खोले जाऐंगी ।

दुध पुरवठा करने के नियम एवं शर्ते

1. दुध पुरवठा करने के बाद दुध के थैली के उपर की किंमत अंतिम समझी जाएगी ।
2. दुध के थैली के उपर जितना डिस्काउंट मान्य किया गया, उसके नुसार भाव ठहराया जायेगा ।
3. दुध क थैलीयों में थैली गलती होंगी तो ,उतने थैलीयों का कींमत बील में से कटौती होंगी ।
4. दुध हरदिन सबेरे **7.30 से 8.15** तक मिलना चाहिए । दुध ताजा और आच्छा होना ।
5. यदी निविदाधारक दुध समय के अंदर पुरवठा करने के लिए असमर्थ हैं तो , विद्यालय स्थानिक मार्केट से दुध ला सकता हैं , और अतिरिक्त देय की गई राशी एवं गाडी भाडा स्वीकृत निविदाधारक के बिल में से कटौसी कर सकता हैं ।
6. निविदाधारक को दुध आपुर्ति का आदेश विद्यालय संख्या पर आधारित रहेंगा । विद्यालय नि चतरूप से दुध की मात्रा लेने के लिए बाध्य नहीं हैं ।
7. दुध की शुध्दता के संदर्भ में यदी छात्राओं की ओर से काई शिकायत आ गयी तो , विद्यालय दुध को ॲनिमल हजबन्डरी विभाग, महाराष्ट्र शासन को परीक्षण के लिए भेज सकता हैं ।
8. यदि परीक्षण के दौरान दुध में किसी प्रकार की खोट का प्रमाण मिला तो, विद्यालय निविदाधारक पर कानुनन कारवाई कर सकता हैं ।
9. सप्लाय किये जाने वाले वस्तुओं का मूल्य आयकर, बिक्रीकर , गाडी भाडा एवं अन्य करों को समाहित करके होना चाहिए। जो सप्लाय संविदा के तहत विद्यालय को दिया जायेगा उसकी टॅक्स संबंधी सारी जिम्मेदारी संविदाधारक की अपनी होंगी । विद्यालय उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगा ।
10. सामान के दाखिला सूची में किसी भी प्रकार की काटपीट व सं ोधन नहीं होना चाहिए । यदी किसी प्रकार की कॉटछॉट हुई हैं या संख्या पठनीय नहीं हैं, तो उसी संख्या को पुनः किसी कॉट छॉट व संशोधन के लिख दिया जाना चाहिए ।

12. निविदा स्वीकृति एक प्रकार का करार है और करारधारक दिये गये निविदाकी शर्तो को मानने केलिए बाध्य हैं
13. सीलबंद निविदा के साथमें **अर्नेस्ट मनी/अनामत रक्कम रू.5,000/– प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय, शंकरनगर, के नामसे स्टेट बॅक ऑफ इंडिया ,रामतीर्थ** में खाते कमांक 52180421425 पर (IFSC CODE SBIN0020453) में जमा करे । प्राप्त रसीद टेंडर के साथ जमा करते समय संलग्न करना होगा ।
14. जिन व्यक्ति /व्यक्तियों का मूल्यसूची (निविदा स्वीकृत होगा उन्हें ठेकेदार या संविदाकार कहॉ जायेगा उन्हें **15,000 राशी** सुरक्षित राशी के रूप में (सेकुरिटी डीपॉझिट) जमा करना होंगा । अर्नेस्ट मनी को सेक्युरिटी मनी के रूप में समायोजित कर लिया जायेगा । अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट को संविदा भंग के समय जप्त कर दिया जाएगा ।
15. निविदा की स्वीकृती के पुर्व अधोहस्ताक्षरी यह अधिकार रखता हैं की सभी निविदाधारकों से वस्तुओं के नमुने (सॅम्पल) मंगाये।ऐसी स्थिती में निविदाधारक बिना किसी किंमतसे नमूना पेश करने के लिए बाध्य होंगे । निविदा के साथ **वर्ष 2021–22 में** भरे गए इनकम टॅक्स रिटर्न की छायाप्रति संलग्न की जायें ।
16. निविदा की स्वीकृती के समय तथा सामान की खरीदी के समय अधोहस्ताक्षरी स्वयं या अपनें द्वारा नियक्त प्रतिनिधी द्वारा निरीक्षण करा सकता हैं जो कि सामान की गुणवत्ता निर्धारित नमुने के अनुसार न होने पर वापिस कर सकता हैं ।
17. **30.04.23** तक निविदा द्वारा कोटेड रेट का सामान स्वीकृत किया जायेगा । प्राचार्य अवधी बढा सकते है।
18. जमा सेक्युरिटी राशी प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, द्वारा निविदा शुरू होने के एक साल तकसुरक्षित रखा जायेगा ताकि इस दौरान किसी भी प्रकार की कमी होने पर सुरक्षा कवच का काम करें ।
19. सफलतापुर्वक सामान आपुर्ति (सप्लाय) के बाद बिल की छायाप्रति जवाहर नवोदय विद्यालय को देना होंगा ताकि उसके बिल भुगतान के लिए आव यक कार्यवाही कीया जा सकें ।
20. उपरोक्त शर्तों को जो नहीं स्वीकार करेंगा उसकी निविदा को निरस्त/रद्द कर दिया जायेगा ।
21. निविदा खोले जाने के समय न्युनतम निविदा की स्विकृति व निगोि ाए ान का अधिकार प्राचार्य को होंगा
22. प्राचार्य ज.न वि नांदेड /अध्यक्ष विद्यालय कय सल्लागार समिती का निर्णय ही अंतिम होगा । और सभी के लिए मान्य होगा ।
23. निविदाधारक को निम्न निर्देशानुसार विद्यालय में निविदा 02 पॅकेट पध्दती के अनुसार जमा करनी होंगी ।

पॅकेट – 1	तांत्रिक बीड्स	**1.दुकान का लायसंस 2.पॅन कार्ड की छायाप्रत 3. अनामत रक्कम ईएमडी की पावती रशिद 4 निविदा के 24 नियम व शर्ते का कागज 5. 100/– बॉड पेपर दर व मान्य शर्ते करानामा 6.आपके बॅक खाते पासबुक का पहिले पेज या चेक की झेरॉक्स 7.वर्ष2021–22 में** भरे गए इनकम टॅक्स रिटर्न की छायाप्रति
पॅकेट – 2	व्यावहारिक बीड्स	**केवल दर पत्रक**

प्राचार्य, जनवि, शंकरनगर

प्रति,
प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय,
शंकरनगर, जि.नांदेड

श्रीमानजी,

मैंने उपरोक्त वर्णित संविदा/निवीदा की नियम एवं सेवा शर्तों को पढा और वर्णित विषय वस्तू को समझा। मैं उन सभी नियम एवं सेवा शर्तों को स्वीकार करता हुं। मैंने सीलबंद निविदा के साथमें **अर्नेस्ट मनी/अनामत रक्कम रू.5,000/– प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय, शंकरनगर, के नामसे स्टेट बॅक ऑफ इंडिया, रामतीर्थ** में खाते कमांक 52180421425 पर (IFSC CODE SBIN0020453) में जमा जमा किया हूँ उसकी रशीद / पावती संलग्न कर रहा हुं ।

भवदीय,

दिनांक

निविदाधारक के हस्ताक्षर
दुकान का नाम